न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2016/ पुनरीक्षण

निग. 2278-II-16

मै. एस.बी. अर्थमूर्वस प्रा.लि. द्वारा निदेशक अनोद जायसवाल पुत्र श्री रवि प्रकाश जायसवाल

निवासी जायसवाल भवन, जे.आर. बिड़ला रोड़ कोलगंवा सतना जिला – सतना (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1. मुस. शान्ती देवी पत्नी स्व. रामलखन कुशवाहा
2. अनिल कुशवाहा पुत्र स्व. रामलखन कुशवाहा
3. अमित कुशवाहा पुत्र स्व. रामलखन कुशवाहा

   राममिलन पिता रामाधार कुशवाहा मृतक नाम विलोपित
4. रामाश्रय पिता स्व. ~~रामकिसन~~ राममिलन कुशवाहा
5. रामसनेही 6. रामनारायण
7. रामकरण 8. रामनिवास
9. राजललन 10. रामकिशोर

   कं. 5 ता 10 पुत्रगण स्व. रामसिया कुशवाहा
11. रामप्रसाद उर्फ राजेश कुशवाहा पुत्र स्व. रामानुज कुशवाहा

सभी निवासीगण ग्राम नैना तहसील रघुराज नगर जिला– सतना (म.प्र.)

श्री मुकेश भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 8-7-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
08-7-16 एडवोकेट
ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2278–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–9–2016	उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। 2/ अनावेदक अभिभाषक ने प्रकरण की प्रचलनशीलता के बिन्दु पर प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में तर्क किया कि आवेदक मेसर्स एस.बी. मूर्वस प्रा.लि. द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 525–दो/16 में दिनांक 28–6–2016 को आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिसपर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात इस न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिनांक 28–6–16 से आवेदक का पक्षकार बनाने संबंधी आवेदन निरस्त किया गया। आवेदक द्वारा इस तथ्य को छुपाकर यह निगरानी लिंक पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर निगरानी में ग्राह्यता एवं स्थगन पर आदेश प्राप्त कर लिये। चूंकि इस निगरानी से संबंधित विवाद का निराकरण निग0 प्र0कं0 525–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 28–6–16 के द्वारा हो चुका है। अतः अब इस निगरानी का प्रचलन होने का कोई औचित्य नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये। 3/ आवेदक अभिभाषक ने अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रचलशीलता संबंधी आपत्ति का लिखित एवं मौखिक जबाव दिया जिसमें यह तर्क दिये कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का अंश रकवा रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय किया है तथा उक्त विकय पत्र के आधार पर आवेदक का नामांतरण भी हो गया है। इस कारण आवेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। यह भी तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय के सक्ष आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया तथा आवेदक के हितों को प्रभावित करते हुये आवेदक द्वारा कय की गई भूमि को सम्मिलित करते हुये पारित कर दिया। आवेदक को जानकारी	

होने पर उसके द्वारा पूर्व निगरानी प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने बावत आवेदन दिया जिसे इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसी कारण आवेदक द्वारा प्रथक से निगरानी प्रस्तुत करनी पड़ी। चूंकि आवेदक हितबद्ध पक्षकार है इसलिए उसकी निगरानी का निराकरण गुण–दोष पर किया जाना आवश्यक है।

4/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के साथ संलग्न निगरानी प्र0कं0 525–दो/16 का अवलोकन किया जिसमें दिनांक 28–6–16 को उक्त प्रकरण में आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 28–6–16 यह निष्कर्ष निकालते हुये कि चूंकि प्रकरण अंतिम स्टेज पर सुनवाई हेतु नियत तथा यदि आवेकद का स्वत्व निहित है तो सक्षम न्यायालय से विनिश्चयन कराना चाहिए, आवेदक का पक्षकार बनाये जाने संबंधी निरस्त किया गया। आवेदक द्वारा इसके पश्चात यह निगरानी इस न्यायालय के लिंक पीठासीन के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें इन तथ्यों को हवाला न देते हुये नये शिरे से अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 3–10–15 को चुनौती दी गई है। जो आदेश दिनांक 8–7–16 को ग्राह्य आवेदक द्वारा इस न्यायालय से तथ्य छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीपूर्ण आदेश पर निराकरण होने के पश्चात पुनः उसी आदेश को चुनौती देना रेसज्यूडीकेटा के श्रेणी में आ जाता है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा न्यायालय से तथ्य को छुपाकर स्वच्छ हाथों से इस न्यायालय में पुनः निगरानी प्रस्तुत नहीं की है जो विधिअनुसार प्रचलन योग्य नहीं है। आवेदक यदि इस न्यायालय के मुल निगरानी के आदेश से असंतुष्ट है तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य